

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 19(1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक 27.9.2012

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को एच श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किया जाता है :-

क.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री कमल सिंह रांगड पुत्र श्री कालू राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकारण, जयपुर	एच- 523 गॉधीनगर (एच-6/2 एम.आर.ई.सी. के स्थान पर)	30.4.2037	50 / 1999
2.	श्री रामनिवास मीणा पुत्र श्री मंगला राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेटी कॉलोनी जयपुर	एच- 575 गॉधीनगर	31.1.2022	13 / 2000
3.	श्री दूदा राम पुत्र श्री मूला राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पंचायतीराज विभाग, जयपुर	एच-600 गॉधीनगर	31.7.2029	22 / 2000
4.	श्री महेन्द्र कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	एच-914 गॉधीनगर	31.7.2032	30 / 2004

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- यूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
- मुख्य विश्लेषक, सेटी कॉलोनी, जयपुर।
- न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर।
- उपायुक्त(जांच), पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
- शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग।
- मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
- प्रबन्धक निदेशक, राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
- प्रबन्धक निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
- सम्बन्धित कर्मचारीगण।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव